भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4178
19 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

केरल में पारंपरिक मछुआरा समुदाय

4178. श्री शफी परम्बिल:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में पंजीकृत पारंपरिक मछुआरों का जिला-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) पारंपरिक मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए राज्य को कुल कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(ग) क्या केंद्र सरकार ने पारंपरिक मछुआरा समुदाय की आजीविका और आय सुरक्षा के लिए कोई विशेष कार्यक्रम किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क): केरल सरकार ने सूचित किया है कि 2024 की सूची के अनुसार, केरल मछुआरा कल्याण कोष बोर्ड के अंतर्गत कुल 2,26,093 पारंपरिक मछुआरे पंजीकृत हैं। ज़िलेवार विवरण संलग्न हैं।

(ख) और (ग): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने केरल सहित देश भर में मछुआरा समुदाय के कल्याण के साथ-साथ मात्स्यिकी और जल कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रमुख योजनाओं में ब्लू रिवोल्यूशन योजना (2015-16 से 2019-20), मात्स्यिकी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का विस्तार (2018-19 से), फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) (2018-19 से 2025-26), 'प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) (2020-21 से 2024-25), और एक नई केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना अर्थात प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) (2023-24 से 2026-27) शामिल हैं। मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करना, वैल्यू चैन को सुदृढ़ करना, रोजगार सृजन, मछुआरों की सुरक्षा और मछुआरों तथा मत्स्य किसानों की सामाजिक-आर्थिक हित इन पहलों का मूल रहा है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित PMMSY, अन्य बातों के साथ-साथ पारंपरिक मछुआरों की आजीविका और आय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में विभिन्न गतिविधियों को सहायता प्रदान करता है, जिसमें मछली पकड़ने के प्रतिबंध अवधि के दौरान मछुआरों को आजीविका सहायता, पारंपरिक मछुआरों को बोट्स और नेट्स के लिए सहायता, समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा के लिए संचार/ट्रैकिंग उपकरण और सुरक्षा किट प्रदान करना, पोटेन्शियल फिशिंग ज़ोन्स (PFZ) उपकरणों के लिए सहायता, सक्रिय मछुआरों को समूह दुर्घटना बीमा कवरेज, समुद्री शैवाल की खेती, बाइवाल्व कल्टीवेशन, ओपन सी केज कल्चर, ओर्नामेंटल फिशरीस, फिश मारकेट और कियोस्क, कोल्ड चेन सुविधाएं, लाइव फिश वेंडिंग सेंटेर्स, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम आदि जैसी अतिरिक्त और वैकल्पिक आजीविका गतिविधियां शामिल हैं।

विगत पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान, PMMSY के अंतर्गत, विभिन्न मात्स्यिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केरल राज्य सरकार को मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कुल 1347.55 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत गतिविधियों में पारंपरिक मत्स्यन समुदायों के लिए आजीविका सुदृढ़ीकरण गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे मछली पकड़ने की प्रतिबंध अवधि (1,71,033 संख्या) के दौरान मछुआरों को आजीविका सहायता, पारंपरिक मछुआरों को बोट्स और नेट्स का प्रतिस्थापन (200 यूनिट्स), वैकल्पिक आजीविका गतिविधियाँ जैसे बाइवाल्व कल्टीवेशन (1140 यूनिट्स), रीटेल मारकेट्स और कियोस्क (95 यूनिट्स), ओर्नामेंटल फिश रियरिंग और ब्रीडिंग (822 यूनिट्स), आइस प्लांट्स/कोल्ड स्टोरेज(16 यूनिट्स), पोस्ट-हारवेस्ट ट्रांसपोर्टेशन यूनिट्स (468 यूनिट्स), लाइव फिश वेंडिंग सेंटेर्स (77 यूनिट्स), इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग वेलेज का विकास (9 संख्या), क्लाइमेट रेसीलिएंट विलेज का विकास (6 संख्या), मत्स्य सेवा केंद्रों (MSK) (10 यूनिट्स) और सागर मित्रों (222 संख्या) के तहत विस्तार और सहायता सेवाएँ। इसके अतिरिक्त, केरल के मछुआरों को अल्पावधि ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए 10,291 KCC कार्ड स्वीकृत किए गए हैं।

अनुबंध

केरल में पारंपरिक मछुआरा समुदाय के संबंध में 19 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए श्री शफी परम्बिल, माननीय संसद सदस्य, लोकसभा द्वारा पूछे गए लोकसभा प्रश्न संख्या 4178 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क्रमांक	**जिला**	**पंजीकृत समुद्री मछुआरे**
1.	तिरुवनंतपुरम	56,303
2.	कोल्लम	27,085
3.	अलाप्पुझा	37,225
4.	कोटेयम	4,812
5.	पथनमतिट्टा	219
6.	इडुक्की	329
7.	एर्नाकुलम	22,810
8.	त्रिशूर	7,466
9.	पालक्कड़	604
10.	मलप्पुरम	31,510
11.	कोझिकोड	20,703
12.	वायनाड	35
13.	कन्नूर	6,467
14.	कासरगोड	11,155
कुल		**2,26,093**

*****